

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/ग्रुप-3/लोकपाल अपीलेट अथो/14-15/ e.office.no 56473 जयपुर, दिनांक 22 MAR 2017

विज्ञप्ति

**लोकपाल अपीलेट अथोरिटी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण**

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची -1 के पैरा 30 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय अपीलेट अथोरिटी का गठन किये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अपीलेट अथोरिटी में निम्नांकित तीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 30.04.2017 तक आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल से आमंत्रित किये जाते हैं :-

- (1) सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्ट - एक (2) शिक्षाविद (अध्यापन) - एक  
(3) प्रतिनिधि सिविल सोसायटी संगठन - एक

ईमेल पता:- nrega.raj@gmail.Com

रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट लिफाफे पर लिखे :-

विभागीय पता :- आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, कमरा नम्बर 8019, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय जयपुर।

**अपीलेट अथोरिटी सदस्य हेतु आवेदन की शर्तें**

1. आवेदनकर्ता प्रतिष्ठित, निष्ठावान, विवाद रहित, अखण्ड सत्यनिष्ठा का व्यक्ति हो। आवेदक किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं हो। आवेदक को शिक्षा (अध्यापन) के क्षेत्र में या शासकीय सेवा में या सिविल सोसायटी संगठन में कम से कम 30 वर्ष का अनुभव हो। आवेदक की आयु दिनांक 01.10.2017 को 66 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण व भ्रमण कर सकें।
3. नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिये होगी, जो कार्य मूल्यांकन के आधार पर 1-1 वर्ष के लिये दो बार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् बढ़ायी जा सकेगी परन्तु 68 वर्ष की अधिआयु पर नहीं बढ़ायी जायेगी।
4. पैनल राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित किया जावेगा तथा नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय देय होगा।
5. महात्मा गांधी नरेगा में लोकपाल के रूप में एक वर्ष पूर्ण करने वाले आवेदको को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
6. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिये विभागीय वेबसाइट website:- [www.rdprd.gov.in](http://www.rdprd.gov.in) / [nrega.raj.nic.in](http://nrega.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।
7. जिन आवेदकों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 23.02.2015 एवं 21.07.2015 के संदर्भ में आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद, जयपुर  
लोकपाल अपीलेंट अथोरिटी के पैनल हेतु आवेदन पत्र

भाग अ – व्यक्तिगत सूचना

1. नाम बड़े अक्षरों में (हिन्दी में).....  
(अंग्रेजी में).....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्म तिथि.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. आयु.....(दिनांक 01.10.2017 को)
5. डाक का पता (अ) वर्तमान पता.....  
.....  
(ब) स्थाई पता.....  
.....  
(स) दूरभाष नम्बर एसटीडी कोड सहित.....  
(द) मोबाइल नम्बर.....  
(य) ईमेल आईडी.....
6. क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ है  
(इसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. क्या आप किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल या प्रतिबंधित संगठन के सदस्य नहीं  
है (सदस्य नहीं होने का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ –पत्र संलग्न करें)
8. क्या आप का कभी किसी अपराधिक केस में चालान हुआ (यदि हाँ तो विवरण दे,  
यदि नहीं तो इस आशय का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें।
9. क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी रूप में जुड़े रहे  
है, यदि हाँ तो विवरण दे–कब, कहाँ, किस रूप में है ?-----  
-----  
-----
10. प्रार्थना पत्र के साथ दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुशंसा पत्र संलग्न करें एवं इन  
संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर भी अंकित करें।

भाग ब — शैक्षणिक योग्यता:—

1. शैक्षणिक योग्यता.....(स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. अनुभव वर्षों में (आवेदक को शिक्षा (अध्यापन) के क्षेत्र में या शासकीय सेवा में या सिविल सोसायटी संगठन में कम से कम 30 वर्ष का अनुभव हो, स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)  
कुल अनुभव अवधि .....
- अनुभव का क्षेत्र :.....अवधि.....
3. सेवारत रहते हुये प्रथम नियुक्ति पद.....एवं दिनांक.....  
सेवानिवृत्त पद.....एवं दिनांक .....
4. किसी सिविल सोसायटी संगठन/व्यावसायिक संस्था के सदस्य रहे है तो संस्था का विवरण  
देवें  
.....
5. वर्तमान व्यवसाय.....

भाग स—घोषणा:—

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है। मैंने विज्ञापन में वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को पढ लिया है और मुझे पता है कि लोकपाल अपीलेट अथोरिटी का कार्य एक अंशकालीन कार्य है। अपीलेट अथोरिटी को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, नियम व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करना है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

आवेदक का नाम

.....